मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–34/2024

राजेश्वरी उम्र 80 वर्ष पत्नी श्रीराम जाति बावरी साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

वादिया

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. कृष्णलाल पुत्र श्योचंद जाति मेघवाल साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. मदनलाल पुत्र श्योचंद जाति मेघवाल साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. रामस्वरूप पुत्र श्योचंद जाति मेघवाल साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांक :–24/03/2025

वादीया की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरूका अधिवक्ता, व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, तहसीलदार रिपोर्ट एवं प्रस्तुत शपथ पर एवं दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि – राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 88 के तहत घोषणा की जाति है कि चक 25 पी.बी.एन के खाता स. 110/ 164 के प.न. 21/342 मु.न. 32 प.न. 22/342 मु.न. 33, प.न. 21/343 मु.न. 40 तीनो पत्थरो की कुल 6.047 हैक. मे क्रमशरू 253/18141, 253/18141, 253/18141 हिस्सा ही राजस्व रिकार्ड में में दर्ज प्रतिवादी स. 2 ता 4 के नाम कुल 0.253 हैक. कृषि भूमि से नाम कलमजन किया जाकर वादिया को काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न [illegible] दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर [illegible] किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/ [illegible] रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:08:49 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 24/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा